निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 70/2024
दायरा दिनांकः— 20.08.2024
निर्णय दिनांकः— 17.9.25

उनवान

1. कन्हैयालाल आयु 67 वर्ष पुत्र किशना जाति चिन्डार निवासी गोडियामेहर
2. चम्पालाल आयु 64 वर्ष पुत्र किशना जाति चिन्डार निवासी गोडियामेहर
3. राजु उर्फ देवकीनन्दन आयु 45 वर्ष पुत्र स्व. हीरालाल जाति चिन्डार निवासी गोडियामेहर तहसील छबडा हाल निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां

बनाम

1. केशव आयु 30 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण जाति चिन्डार निवासी गोडियामेहर
2. लालीबाई आयु 64 वर्ष पत्नि स्व0 प्रेमनारायण जाति चिन्डार निवासी गोडियामेहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. बाबूलाल आयु 69 वर्ष पुत्र स्व0 बन्शीलाल जाति चिन्डार निवासी गोडियामेहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. जगदीश आयु 42 वर्ष पुत्र नन्दा जाति चिन्डार निवासी गोडियामेहर
5. अभिषेक आयु 35 पुत्र नन्दा जाति चिन्डार निवासी गोडियामेहर
6. गायत्रीबाई आयु 48 वर्ष पुत्री नन्दा जाति चिन्डार निवासी गोडियामेहर
7. अयोध्या बाई आयु 65 वर्ष पत्नि नन्दा जाति चिन्डार निवासी गोडियामेहर
8. संजीव आयु 29 वर्ष पुत्र नेनकराम जाति चमार निवासी राहरोन
9. उप पंजियन अधिकारी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 एवं

निर्णय दिनांकः— 17-9-25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भगवान कृष्ण बलरिया — वादी
2. श्री हेमन्त पारीक — प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि भूमि खसरा न. 222, रकबा 8 बिस्वा (0.1012 हेक्टर), खसरा न. 767 रकबा 1 बिस्वा (0.0126 हेक्टर) खसरा न.768 रकबा 6 बिस्वा (0.0759 हेक्टर), खसरा न.769 रकबा 2. बिस्वा (0.0253 हेक्टर), खसरा न. 770 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा (3.0980 हेक्टर) व खसरा न. 988. रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा (1.2266 हेक्टर) कुल 6 किता कुल रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा (4.5396 हेक्टर) वाके माल गोडियामेहर तहसील छबड़ा जिला बारां राज. मे अवस्थित है। जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 7 की पैत्रिक भूमि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारॉं (राज.)

जो तत्कालीन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी स. 142 सम्वत् 2053–56 व सम्वत् 2061 मे तत्कालीन खातेदार मृतक मंगला पुत्र रामचन्द्र का हिस्सा 1/4, शंकर, कन्हैयालाल चम्पा पुत्र गजरी पत्नि किशना का हिस्सा 1/4 नन्दा बाबू पुत्र बन्शी का हिस्सा 1/4 व प्रेमनारायण पुत्र भवरिया का हिस्सा 1/4 संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी दर्ज थी। जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 7 व उनके पूर्वज संयुक्त रूप से काबिज रहे हैं। उक्त तत्कालीन खातेदार मंगला की मृत्यु अविवाहीत, निसन्तान होने से उक्त भूमि को 3 हिस्सो से विभाजित हो गयी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणा क्रम लगायत 7 के पूर्वज, परिजन तत्कालीन सहखातेदार स्व. मंगला पुत्र रामचन्द्र जाति चिन्डार निवासी गोड़ियामेहर का स्वर्गवास करीब 40 वर्ष पूर्व अविवाहीत व निःसन्तान स्थिति में हो जाने के कारण स्व. मंगला के हिस्से की उक्त आराजीयात को तीन हिस्सो मे मुताबिक परिवार सजरा बन्शी किशना भवरिया द्वारा मौखिक रूप से विभाजित कर संयुक्तरूप से काबिज रहे। प्रार्थीगण मृतक खातेदार किशना व मंगला के वारिसान है। प्रार्थीगण कुछ समय ग्राम कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज. में निवास कर रहे हैं जो समय–समय पर आवश्यकता अनुसार ग्राम गोडियामेहर आते–जाते रहते हैं। सहखातेदार स्व. प्रेमनारायण विकलांग व्यक्ति चलने–फिरने में असमर्थ था उसके पास आय के अन्य साधन नही होने से उक्त भूमि की देख–रेख व काश्तकारी व्यवस्था प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की सहमति से तत्कालीन सहखातेदार स्व. प्रेमनारायण पुत्र भवरिया अपने जीवनकाल तक की उक्त प्रेमनारायण की मृत्यु के बाद कुछ एक वर्ष तक उसके पुत्र सहखातेदार अप्रार्थी क्रम 1 केशव ने की। उक्त आराजी के पूर्व खातेदार मंगला जिनके स्वर्गवास अविवाहीत व निःसन्तान स्थिति मे होने उनका फौती नामान्तरण सहवन से अन्य सहखातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने से रह गया। जिसका अनुचित फायदा उठाते हुऐ। सहखातेदार स्व. प्रेमनारायण पुत्र भवरिया जो ग्राम पंचायत गोडियामेहर का संरपच भी रहे उनके द्वारा राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर आपराधिक पडयन्त्र कर विधि विरूध अनुचित तरिके छल, कपट पूर्वक जानबूझकर तथ्यों को छुपाते हुऐ चुपचाप दिनांक 3.9,1998 को ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा के आयोजित समस्या शिविर मे गलत, तथ्य प्रस्तुत कर उक्त आराजी मे दर्ज. सहखातेदार स्व. मंगला पुत्र रामचन्द्र के हिस्सा 1/4 का फौती नामान्तरण न. 551 ग्राम गोडियामेहर दिनांक 3.9.1998 को अपने नाम दर्ज करवा लिया। जो प्रारम्भ से ही अवैध अमान्य एवं प्रभाव शून्य व निरस्तनीय है जो प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के हितो पर निःप्रभावी है। क्योकि उक्त मृतक खातेदार मंगला की मृत्यु के बाद उनका हिस्सा मुताबिक विरासत में सभी खातेदार के बारबर हिस्सा 1/3,1/3 मृतक बन्शी व किशना के वारिसान के दर्ज होना था। तथा प्रेमनारायण के हिस्सा 1/3 ही दर्ज होना था। इसलिऐ प्रार्थीगण उक्त मंगला का फौती नामान्तरण न. 551 ग्राम गोडियामेहर को निरस्त कराने के कानूनी अधिकारी है। सहखातेदार प्रेमनारायण की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसान अप्रार्थीगण क्रम 1 केशव व क्रम 2 लालीबाई ने विधिविरूध उक्त भूमि खसरा न. 988 रकबा 1.2266 हेक्टर का हिस्सा 1/2 कपट पूर्वक जानबूझकर यह जानते हुऐ की उनका हिस्सा उक्त में 1/3 ही हैं फिर भी उक्त भूमि के हिस्सा 1/2 का बैनामी विक्रय पत्र दिनांक 07.11.2023 पंजियन दिनांक 07.11.2023 अप्रार्थीगण क्रम 8 संजीव पुत्र नेनकराम जाति चमार निवासी राहरोन तहसील छबडा के पक्ष में कर दिया गया जो प्रारम्भ से अवैध होने से प्रार्थीगण के हितों पर अवैध अमान्य व प्रभावशून्य हैं। जिसे प्रार्थीगण अवैध घोषित कराने के कानूनी अधिकारी है। सहखातेदार स्व. प्रेमनारायण द्वारा राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर आपराधिक षडयन्त्र कर विधि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारॉं (राज.)

ध अनुचित तरिके छल, कपट पूर्वक जानबूझकर तथ्यो को छुपाते हुऐ चुपचाप दिनांक 3.9.1998 को ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा के आयोजित समस्या शिविर मे गलत, तथ्य प्रस्तुत कर उक्त आराजी के हिस्सा 1/4 का सहखातेदार स्व. मंगला पुत्र रामचन्द्र का फौती नामान्तरण न. 551 ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा दिनांक 3.9.1998 को उसके हिस्से 1/4 को भी अपने नाम गलत दर्ज करवाने एवं प्रेमनारायण की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 व 2 केशव व लालीबाई कर विवादीत भूमि खसरा न. 988 का हिस्सा 1/2 का विक्रय आपराधिक षडयन्त्र कर विधि विरूध अनुचित तरिके छल, कपट पूर्वक जानबूझकर तथ्यो को छुपाते हुऐ चुपचाप वादीगण व अन्य सहखातेदार को क्षति पहुंचाने की नियत से किया गया जो प्रारम्भ से अवैध होने से उसे वादीगण अवैध घोषित कराने के कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात मे मुताबिक पारिवारीक सजरा वंशावली एवं तत्कालीन खातेदार मंगला पुत्र रामचन्द्र जाति चिन्डार निवासी गोड़ियामेहर का स्वर्गवास अविवाहीत व निःसन्तान स्थिति मे मृत्यु होने पर प्रार्थीगण जो मंगला के सगे भाई किशना के पुत्र / पौत्र वैध वारिसान व कायममुकामान उत्ताधिकारी होने उक्त सम्पूर्ण आराजी मे उनका हिस्सा 1/3 कानूनन बनता हैं। इसलिऐ प्रार्थीगण अपना हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने के वैधानिक अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10 मार्च 2024 में ग्राम गोडियामेहर जाकर तत्कालीन सहखातेदार प्रेमनारायण के वारिसान अप्रार्थीगण क्रम 1 केशव व क्रम 2 लालीबाई कर से उक्त विवादीत भूमि के विधिवत बटवारे के सन्दर्भ मे बात तो उनके द्वारा बटवारा करने से साफ इन्कार होने एवं सम्पूर्ण भूमि अपनी होना बताया। इसके बाद वादीगण द्वारा छबडा आकर हल्का पटवारी व तहसील कार्यालय मे जानकारी कर राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 18 मार्च 2024 प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को उक्त आराजी के अवैध नामान्तरण व बैचान के आपराधिक कृत्य की जानकारी हुई। इस सन्दर्भ में प्रार्थीगण द्वारा किये गए सभी प्रयास विफल होने पर माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा। इसलिए वादीगण उक्त विवादीत आराजी में अपना हिस्सा 1/3 अपनी खातेदारी मे दर्ज कराने व विधिवत बटवारा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी क्रम 1.2 व 8 उक्त भूमि को बिना बटवारा अवैध रूप से बैचान अन्तरण आपराधिक व अन्य लोगो को कर झगडा विवाद उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना हो चुकी है। यदि प्रतिवादी क्रम 1.2 व 8 व उनके प्रतिनिधि अपने अवैध उद्देश्य की पूर्ति मे सफल हो गऐ तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी आपूर्ति असम्भव है। वादीगण को अपनी भूमि के हक अधिकारो की क्षति होगी। तथा भविष्य मे प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के हिस्से व हक की भूमि के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न कर सकते है। इसलिए उक्त अवैध कृत्य को रोकने हेतु निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के कानूनी अधिकारी हैं। यदि अप्रार्थीगण द्वारा विवादीत आराजी का चुपचाप अन्तरण रहन वै आदि कर लिया तो अकारण ही प्रार्थी को कई प्रकरणों में उलझना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप प्रार्थी को अपिरिमित क्षति होगी। जिसकी आपूर्ति असम्भव है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी क्रम 3 ता 7 की ओर से जवाब पेश नही होने पर जवाब बन्द किया गया। तथा अप्रार्थी क्रम 8 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2057–60 खाता संख्या 234 नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2053–56 खाता संख्या 142 नकल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारॉं (राज.)

न्तरण संख्या 551 ग्राम गोडियामेहर नकल नामान्तरण संख्या 1278 दिनांक 07.03.2024 ग्राम ोडियामेहर नकल नामान्तरण संख्या 1254 दिनांक 22.09.2023 ग्राम गोडियामेहर नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 220 नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 366 मृत्यु प्रमाण पत्र गजरी बाई विक्रय पत्र दिनांक 7.11.2023 पेश किया गया।

अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश हुआ। जवाब में बताया कि वाद/प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियात का खातेदार मंगला आत्मज रामचंद्र के कोई वारिस नहीं था। खातेदार मंगला की वृद्धावस्था में अप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता/पति प्रेमनारायण द्वा उसकी सेवा सुश्रुषा की गई थी, जिस पर खातेदार मंगला द्वारा अपने जीवनकाल में ही अप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता/पति प्रेमनारायण की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर उसके हिस्से की 1/4 भूमि को अप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता/पति को खुश होकर गिफ्ट कर दी गई थी तथा खातेदार मंगला की मृत्यु हो जाने के बाद उसका दाह संस्कार एवं समस्त कियाकर्म प्रेमनारायण द्वारा ही किया गया था एवं समाज के पंचों द्वारा मंगला की पगड़ी भी प्रेमनारायण के बांधी गई थी, खातेदार मंगला की मृत्यु के पश्चात पटवारी द्वारा समस्त जांच करने के पश्चात फोती इंतकाल प्रेमनारायण के नाम खोला गया था। इस प्रकार मंगला की भूमि फोती इंतकाल के माध्यम से प्रेमनारायण के खाते दर्ज हुई थी। खातेदार मंगला की मृत्यु के समय खातेदार शंकर, हीरा, कन्हैयालाल, चम्पालाल पुत्रगण किशना, नन्दा, बाबू पुत्रगण बंशी जीवित थे तथा मंगला की मृत्यु से पूर्व ही प्रार्थीगण ग्राम गोडियामेहर को तर्क करके ग्राम कवाई में आकर बस गए थे। जिन्होंने मृतक मंगला की कोई सुध नहीं ली। मृतक मंगला की अप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता/पति प्रेमनारायण द्वारा ही सेवा–सुश्रुषा की गई थी। मृतक मंगला की मृत्यु के पश्चात फोती इंतकाल नंबर 551 दिनांक 03.09. 1998 को खोला गया। जिसकी संपूर्ण जानकारी प्रार्थीगण को थी, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा उक्त इंतकाल की कोई अपील नहीं की गई तथा इंतकाल के 25 साल बाद यह वाद पेश किया गया है। जो अवधि बाह्य होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा फोती इंतकाल नंबर 551 की कोई अपील सक्षम न्यायालय में पेश नहीं की गई है। अतः प्रार्थीगण उक्त वाद / प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी कम 1 व 2 के द्वारा अपनी भूमि खसरा नंबर 988 रकबा 1.2266 है0 में से अपने हिस्से 1/2 भूमि का बेचान विधिवत रूप से किया गया है तथा बेचाननामा रजिस्ट्री के आधार पर उक्त भूमि खरीदकर सभी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र को निरस्त करवाए जाने बाबत् कोई वाद पेश नहीं किया गया है तथा जब तक विकय पत्र विधिवत रूप से निरस्त नहीं हो जाता, तब तक प्रार्थीगण उक्त वाद/प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा विक्रय पत्र निरस्त किए जाने हेतु वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः वाद/प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाए जाने की कृपा करें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैत्रक आराजी है खातेदार मंगला की मृत्यु अविवाहित, निसन्तान होने से उक्त विवादित भूमि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारॉं (राज.)

हिस्सों में विभाज़ित हो गयी। खातेदार मंगला की मृत्यु लगभग 40 वर्ष पूर्व हो गयी थी। मृतक मंगला की मृत्यु के बाद हिस्सा 1/4 का फोती नामान्तरण सहवन से अन्य सहखातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया परन्तु सहखातेदार स्व. प्रेमनारायण जो ग्राम पंचायत गोडियामेहर का सरपंच भी रहे उन्होने मृतक मंगला का फोती नामान्तरण 551 दिनांक 3.09.1998 अपने नाम दर्ज करवा लिया। क्योकि मृतक मंगला की मृत्यु के बाद मुताबिक विरासत सही खातेदारान को हिस्सा 1/3, 1/3 दर्ज होना था प्रेमनारायण को भी हिस्सा 1/3 दर्ज होना था मृतक मंगला का फोती नामान्तरण 551 को प्रार्थी निरस्त कराने के अधिकारी है। प्रेमनाराण की मृत्यु के बाद उसके वारिसान अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का हिस्सा 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 988 रकबा 1.2266 है0 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.11.2023 को अप्रार्थी क्रम 8 के पक्ष मे कर दिया गया। जिसे प्रार्थीगण अवैध घोषित कराने के अधिकारी है प्रार्थीगण विवादित आराजी में मुताबिक बंशावली एवं खातेदार मंगला की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण सम्पूर्ण आराजी में अपना हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 एवं 8 उक्त भूमि को बिना बटवारा कराये अन्य व्यक्ति को रहन बेचान करने पर आमादा है अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निर्णय तक रहन बेचान नही करने बाबत् पाबन्द फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि खातेदार मंगला पुत्र रामचन्द के कोई वारिस नही था। खातेदार मंगला की वृद्धावस्था में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता व पति प्रेमनारायण ने सेवा की थी। तथा मृतक मंगला द्वारा प्रेमनारायण को अपने हिस्से की भूमि गिफ्ट कर दी थी। हल्का पटवारी द्वारा मंगला की मृत्यु के बाद समस्त जांच करने के पश्चात् फोती नामान्तरण प्रेमनारायण के नाम खोला था। फोती नामान्तरण के बाद प्रेमनारायण के नाम दर्ज हुई खातेदार मंगला की मृत्यु के समय खातेदार शंकर ,हीरा, कन्हैयालाल चम्पालाल पुत्र किशना, नन्दा, बाबू पुत्र बंशी जीवित थे तथा मंगला की मृत्यु से पूर्व ही प्रार्थीगण गोडियामेहर को छोडकर ग्राम कवाई में आकर बस गये थें। जिन्होने मृतक मंगला की कोई सुध नही ली। मंगला की मृत्यु के पश्चात् फोती नामान्तरण संख्या 551 दिनांक 03.09.1998 खोला गया। जिसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थीगण को थी। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा उक्त इन्तकाल की कोई अपील नही की गई इन्तकाल के 26 साल बाद यह दावा पेश किया गया है जो चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें। प्रार्थीगण द्वारा फोती नामान्तरण संख्या 551 की कोई अपील सक्षम न्यायालय में पेश नही की गई है प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 988 रकबा 1.2266 है0 में से अपने हिस्से 1/2 भूमि का बेचान विधिवत रूप से किया गया है रजिस्ट्री के आधार पर सभी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है प्रार्थीगण को विक्रय पत्र निरस्त कराये बिना कोई वाद पेश नही कर अनुतोष प्राप्त कर सकता था विक्रय पत्र निरस्त करने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नही है सिविल न्यायालय को है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2057–60 खाता संख्या 234 में शंकर, हीरा कन्हैयालाल, चम्पा पुत्र किशना, गजरी बेवा किशना हिस्सा 1/4 प्रेमनारायण पुत्र भवरिया हिस्सा 1/2 नन्दा, बाबू नाबा0 पुत्र बंशी हिस्सा 1/4 जाति

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारॉं (राज.)

...र सा0देह बतौर खातेदार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2053–56 खाता संख्या 142 में मंगला पुत्र रामचन्द हिस्सा 1/4 शंकर, हीरा, कन्हैयालाल, चम्पा, पुत्र किशना, गजरी बेवा किशना हिस्सा 1/4 प्रेमनारायण पुत्र भंवरिया हिस्सा 1/4 नन्दा बाबू नाबा0 पुत्र बंशी हिस्सा 1/4 जाति चिन्डार सा0देह बतौर खातेदार दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 12 से 17 में इन्तकाल संख्या 551 दिनांक 03.09.1998 से मंगला पुत्र रामचन्द हिस्सा 1/4 भूमि प्रेमनारायण पुत्र भंवरिया के नाम दर्ज करने का नोट अंकित है नकल नामान्तरण संख्या 551 दिनांक 03.09.1998 मृतक मंगला पुत्र रामचन्द की मृत्यु हुए करीबन 20 वर्ष हो चुके है तहसीलदार छबडा के आदेश द्वारा समस्या समाधान शिविर दिनांक 03.09.1998 के तहत मंगला का हिस्सा प्रेमनारायण पुत्र भंवरिया को दिया गया है नकल नामान्तरण संख्या 1278 दिनांक 07.03.2024 खसरा नम्बर 988 रकबा 1.2266 है0 भूमि का 1/2 हिस्सा क्रेता संजीव कुमार को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान केशव व लाडबाई द्वारा किया गया। कनल नामान्तरण संख्या 1254 दिनांक 22.09.2023 मृतक प्रेमनारायण के फोत होने पर फोती नामातकरण उसके वारिसान के नाम दर्ज किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर प्रार्थीगण का हिस्सा अलग–अलग दर्ज है जो शामलाती खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 366 में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 3 व 4 ता 7 के पिता एवं क्रेता संजीव कुमार के नाम बतौर खातेदार दर्ज है नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.11.2023 के अनुसार केशव पुत्र प्रेमनारायण, लालीबाई पत्नि प्रेमनारायण चिन्डार द्वारा संजीव कुमार पुत्र नेनकराम जाति चमार निवासी राहरोन को खसरा नम्बर 988 रकबा 1.2266 है0 में से 1/2 भाग का बेचान किया गया। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि मृतक मंगला का 20 वर्ष बाद प्रेमनारायण के नाम नामान्तरण संख्या 551 दिनांक 03.09.1998 दर्ज किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे मूलभूत कानूनी प्रश्न निहित है। उभयपक्षों ने अधिकारों का निस्तारण मूल वाद में प्रस्तुत साक्ष्य/सबूतों के आधार पर किया जायेगा। परंतु प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। इसलिए वाद बहुलता को रोकने एवं मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा के खसरा न. 222, रकबा 8 बिस्वा (0.1012 हेक्टर), खसरा न. 767 रकबा 1 बिस्वा (0.0126 हेक्टर) खसरा न. 768 रकबा 6 बिस्वा (0.0759 हेक्टर), खसरा न. 769 रकबा 2 बिस्वा (0.0253 हेक्टर), खसरा न. 770 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा (3.0980 हेक्टर) व खसरा न. 988. रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा (1.2266 हेक्टर) कुल 6 किता कुल रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा (4.5396 हेक्टर) पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां (राज.)